छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए

नवीन आवेदन पत्र

छत्तीसगढ़

यह आवेदन पत्र जिला कलेक्टर 15 अगस्त के पूर्व प्रेषित किया जाना चाहिए

यहाँ आवेदक को पासपोर्ट साईज का फोटा जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, चिपकाना चाहिए।

भाग (अ)

(प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए अपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा)

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) श्री/श्रीमती/ कुमारी ....

2. अनुसूचिज जनजाति/ उप-जनजाति ....

....

....

....

....

3. धर्म ....

4. मूल निवासी/ स्थायी पता राज्य ....

जिला ....

पूरा स्थायी पता ....

....

7. मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा से लेकर समस्त परीक्षाओं का ब्यौरा दें (प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)शिक्षा सत्र में हुआ कोई भी व्यवधान रिमार्क के खाने में दर्शाया जाना चाहिए

परीक्षा का नाम (1)	संस्था/विश्वविद्यालय या मण्डल का नाम (2)	जिस वर्ष में परीक्षा दी (3)	परीक्षा उत्तीर्ण की अथवा नहीं यदि उत्तीर्ण की तो श्रेणी और अंक जो प्राप्त हुए उनका प्रतिशत (4)	रिमार्क (5)

8. क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति इस योजना में या अन्य किसी योजना के अंतर्गत मिलती थी

हाँ /नहीं, यदि हाँ, तो सूचित कीजिए

1) छात्रवृत्ति ....

योजना का नाम ....

2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी व वर्ष

....

3) उस संस्था के नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी ......

....

9. उस संस्था का नाम जहाँ इस वर्ष अध्ययन कर रहा है ....

1) वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति चाही गई ....

2) इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं ....

3) कक्षा में प्रवेश की तिथि ....

10. क्या आप संस्था के छात्रावास में या संस्था द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं ? विवरण दें। (छात्रावास अधीक्षक का प्रमाण पत्र साथ लगावें)	हाँ/ नहीं, यदि हाँ, तो उसका नाम .... पता .... प्रवेश पाने की तिथि ....
11. निम्नांकित प्रमाण पत्रों को साथ लावें	
अ) जाति तथा आय प्रमाण पत्र (प्रपत्र - 1)	....
ब) आय संबंधी घोषणा (प्रपत्र - 2)	....
स) अंक सूची/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां	....
12. क्या आपको किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो नाम व राशि	हाँ/नहीं ....
13. क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं ?	हाँ/नहीं ....
14. यदि हाँ, तो विवरण	
15. क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलती है ? यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ/नहीं ....

नाम - छात्र कक्षा .... संस्था का नाम, जहाँ अध्ययनरत् है ....

वर्ष जब से छात्रवृत्ति मिली है ....

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने /हमने योजना के विनिमय पढ़ लिए हैं तथा इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण सही हैं। मैं/हम वचन देता हूँ /देते हैं कि यदि मेरे हमारे द्वारा दिया गया विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसका निर्णय अंतिम होता है, गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे /हमारे लिए अंतिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापस करुंगा/करेंगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्रधानिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से, जो उचित समझे, वसूल कर सकेगा।

1. आवेदक के हस्ताक्षर ....
2. पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना व बायां अंगूठा
   ....
3. पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में ....
4. छात्र से संबंध (रिश्तेदारी) ....
5. पिता/पालक का धंधा ....

स्थान ....

दिनांक ....

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जावे, जहाँ आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

1. पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है ....

2. क) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिए छूट दी गई है ? हाँ/नहीं ....

ख) यदि हाँ, तो यह बताएं कि पूरे शिक्षण शुल्क की छूट दी गई है या आधे शिक्षण शुल्क की ....

आवेदक की चालू वर्ष में तारीख .... से तारीख .... के लिए व्यय इस संस्था को रुपये .... अनिवार्य फीस (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों को छोड़) का भुगतान करना होगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

आवेदक द्वारा देय वापस न की जाने वाली समस्त अनिवार्य फीसों के ब्यौरे			दर से		संस्था को आवेदक द्वारा प्रस्तुत देय राशि		अभ्युक्ति
(1)			(2)		(3)		(4)
शिक्षण फीस	‘‘	‘‘	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	
परीक्षा फीस	‘‘	‘‘					
खेलकूद	‘‘	‘‘					
पुस्तकालय फीस	‘‘	‘‘					
चिकित्सा फीस	‘‘	‘‘					
योग :							

संस्था को आवेदक द्वारा देय वापस न की जाने वाली अन्य किसी अनिवार्य फीस का यहाँ उल्लेख किया जाए -

क्या छात्र /छात्रा छात्रावास में रहता है / रहती है ? ....

क्या वह मुफ्त में भोजन आवास/ मुफ्त आवास / मुफ्त भोजन का हकदार है ?

1. प्रमाणित किया जाता है -

1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जाँची गई है एवं वह सही है। जानकारी की दुरुस्ती लाल सही से अंकित है। ....

2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है, वह मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम है। ....

यह संस्था .... विश्वविद्यालय/ मण्डल से सम्बद्ध है तथा भारत सरकार / राज्य शासन .... द्वारा मान्यता प्राप्त है, आवेदक इस संस्था में .... पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है, जिसमें प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता .... पास है।

मैं वचन देता हूँ कि अधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जाएगी वह जिस निश्चित उद्देश्य के लिए भुगतान उसी प्रकार किया जाकर पूर्ण लेखा-जोखा अधिकारी को नियमित रुप से भेजता रहूँगा। यदि आवेदक संस्था/संस्था छोड़ दे या पढ़ाई चालू न रखे या कोई अन्य छात्रवृत्तियाँ / शिष्टवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह सब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले अधिकारी को सूचित किया जावेगा और आवेदक को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बन्द कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति से संबंधित के पास बची अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापस जमा की जावेगी।

....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

क्रमांक .... नाम स्पष्ट अक्षरों में ....

स्थान .... पदनाम .... पता ....

दिनांक .... **संस्था की मुहर**

मुहर पर हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

प्रपत्र-1

जाति एवं आय प्रमाण पत्र

● टीप -

1. इस प्रमाण पर या तो संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ संघ शासित राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के सदस्य, नगर पालिका आयुक्त/ नगर पालिका निगम या जिस मण्डल के किसी सदस्य या ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उस राज्य, संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिनका आवेदक वास्तव में निवासी है, शासन द्वारा विशेष रुप से इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

2. यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है छात्रवृत्ति मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है, अतः प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह, दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए, यह प्रमाण पत्र दें।

पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ -

1) श्री/श्रीमती /कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
का स्थायी निवास ....

2) श्री/श्रीमती/कुमारी..
जाति की है और उसकी उप-जाति ....उसका धर्म.............................. है

3) छात्र/छात्रा के पिता/ माता/ अभिभावक की 31 मार्च 200...... को समाप्त होने वाले विगत वर्ष की समस्त स्त्रोतों से छात्र की आय, अगर हो तो सम्मिलित करते हुए वार्षिक आय .... थी। माता/पिता/पति जीविन न होने परपालक की आमदनी दर्शायी जाए।

प्रमाण पत्र देने वाले के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में ....

पदनाम ....

पता ....

मुहर

● ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे, जिन पर प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी की मुहन न लगी होगा

प्रपत्र-2

आय संबंधी घोषणा पत्रक

(घोषणा पत्र आवेदक के माता/पिता/पति/ पालक द्वारा दिया जावे)

चूँकि मेरे पुत्र/पुत्री आश्रित ....श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो कि .... का छात्र/छात्रा है, मैंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है,

मैं श्री .... आत्मज .... घोषणा करता हूँ कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च 200 .... तक कि कुल आमदनी सब स्त्रोतों से रुपये .... थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा धारित सम्पत्ति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न पत्र के दिए अनुसार हैं और मैंने अपने द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न, उप-करों और भू-राजस्व की रकम का सही रुप से उल्लेख किया है। प्रस्तुत किए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए मैं अपने आप को व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी मानता हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा दिए गए ब्यौरे असत्य पाए गए तो उक्त .... छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण रकम भारत के राष्ट्रपति को लौटा दूंगा तथा घोषणा की असत्यता संबंधी शासन का निर्णय मेरे लिए अंतिम और बंधनकारी होगा।

स्थान ....

दिनांक .... हस्ताक्षर, पिता/ पति/ पालक

[पिता/माता/पति (विवाहित छात्राओं के लिए) के जीवित न होने पर ही पालक द्वारा घोषणा पत्र भरा जावेगा]

अनुसूचि

1. भारित भूमि की सीमा
   1) क्षेत्रफल ....
   2) ग्राम ....
   3) (भू-मापन क्रमांक सर्वे नंबर) ....
   4) (भू-राजस्व निर्धारण) ....

2. धारित सम्पत्ति (मकान, दुकान, भवन, मकान)
   1) मकान क्रमांक ....
   2) मार्ग ....
   3) ग्राम/नगर/शहर ....
   4) स्थल का क्षेत्रफल ....
   5) प्राप्त होने वाला भाड़ा ....
   6) भुगतान किया गया गृह भाड़ा ....
   7) दुकान का पता ....
   8) धंधा (दुकान का) ....
   9) बिक्री कर/आयकर जो भुगतान किया गया ....
   10) लायसेंस क्रमांक ....

3. लिया गया वेतन (यदि माता/पिता दोनों सेवा में) हैं तो पृथक्-पृथक जानकारी दी जाए)

1) नियोजन का नाम ....
2) वह कार्यालय इकाई, जिसमें वह कार्यरत् हो ....
3) पता ....
4) मासिक उपलब्धियां, वेतन + महंगाई + भत्ता + अतिरिक्त भत्ता, सिटी अलाउन्स, अन्य अलाउन्स मिलाकर ....
5) अन्य सुविधाएं जैसे मकान भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य सुविधाएं ....

4. अन्य

1) अन्य धंधों, साधनों से होने वाली/ आमदनी / अंशकालीन कार्यों से आमदनी ....
2) मजदूरी के रुप में ली गई रकम ....
3) कोई अन्य कार्य ....
....
....
....

स्थान ....

दिनांक ....

....

हस्ताक्षर, पिता/ पति/ पालक

आय की घोषणा के सत्यापन के लिए सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः, आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन को देखकर किया जायेगा, उदाहरणार्थ शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामलें में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामलें में आय, आयकर प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है, दुकानदारों के मामले में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रय कर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार खाद्यान्न के फुटकर विक्रेताओं को 10 से 15 प्रतिशत् और थोक विक्रेताओं को 15 सये 20 प्रतिशत् लाभ सामान्य माना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जिनके अपने मकान हैं, उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह द्वारा सरलता से जाना जा सकता है, जो कि भाड़ा मूल्य के आधार पर ही नियत किया जाता है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे भूमि अधिकारियों तथा छोटे-छोटे भूखण्डों के काश्तकारों या दोनों के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आया मोटा अनुमान, स्वामी/ काश्तकार या दोनों के रुप में उनके द्वारा धारित भूमि के आकार तथा भूमि की सीमा से और/ या भू-राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जा सकता है।

भारत सरकार, कल्याण-मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पुनरीक्षित दरें, जो दिनांक 01-10-95 से प्रभावशील है-

(अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु)

सरल क्रमांक	कक्षा	गैर छात्रावासी प्रतिमाह	छात्रावासी प्रतिमाह
1.	चिकित्सा/इंजीनियरिंग बी.एस.सी. (कृषि)(क) (प्रथम से अंतिम वर्ष तक)	330	740
2.	बी.पी.एड. /बी. एड./एम.पी.एड., बी.बी.एस.सी. (ख) (प्रथम से अंतिम वर्ष तक)	330	510
3.	पॉलिटेक्नीक (प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) (ग) एम.ए., एम. कॉम., एम. एच. एस. सी. और एल. एल.बी. (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	330	510
4.	बी. ए., बी. कॉम., बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी. (घ) (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	185	355
5.	11 वीं, 12 वीं (10+2), बी. ए., बी. कॉम., बी.एस.सी., बी. एच.एस.सी. (प्रथम वर्ष)	140	235

नवीनीकरण पो. में छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित है।